म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन,जेल रोड, भोपाल

क्र./बोर्ड/बी-6/नियमन/तुला./248/ 3834 भोपाल. 05/10/2023

प्रति,

संयुक्त संचालक (समस्त)

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

आंचलिक कार्यालय ....(म.प्र.)

विषय:- तुलावाटियों की समस्याओं के संबंध में।

संदर्भ:- तुलावाटी संघ से प्राप्त विभिन्न ज्ञापन व मांग पत्र।

तुलावटियों की समस्याओं के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर विधि, उपविधि अनुसार निराकरण कर, निम्नानुसार कार्यवाही की जाएः-

1. परिपत्र दिनांक 26.06.2020 में किसानों से दोहरी तुलाई हम्माली न हो के लिये स्पष्ट निर्देश हैं, जो कि नियमानुसार तथा कृषकों के हित में है। जिस बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटे पर लायसेंसधारी तुलावटी नियुक्त नहीं है, उन पर तुलाई का कार्य मंडी समिति द्वारा चक्रीय पद्धति से नियुक्त तुलावटी से ही कराया जाना चाहिए।

2. "कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम की धारा 17(2) (तेरह) (ख) में स्पष्ट है कि कृषि उपज मंडी समितियाँ तुलावटी हम्मालों से संबंधित प्रभारों का वसूल करेगी और उन्हें तुलैयों तथा हम्मालों में वितरित करेगी" का पालन कराया जावे।

3. "धारा 17(2) (उन्नीस) मण्डी-प्रांगण में किए गए संव्यवहारों के संबंध में माल के तौलने तथा उसके परिवहन के लिए तुलैयों तथा हम्मालों का बारी-बारी से नियोजन करने की व्यवस्था करेगी, परन्तु इस खण्ड की कोई भी बात उन हम्मालों के नियोजित किए जाने के लिए लागू नहीं होगी जो कि व्यापारियों द्वारा मण्डी प्रांगण से अपने गोदामों तक अपने माल के परिवहन के लिए नियोजित किए जाए", का पालन कराया जावे।

4. धारा 17(2) (उन्नीस) मंडी क्षेत्र में तौल व्यवस्था, चक्र पद्धति से नियुक्त करना कृषि उपज मंडी समिति का दायित्व है। मंडी प्रांगणों में तथा उसके बाहर बी.ओ.टी. पर स्थापित तौलकांटों के अतिरिक्त अन्य तौलकांटों पर तथा सौदा पत्रक और फार्म गेट एप पर उपविधि 17 के तहत बारी-बारी से मंडी समितियों के लायसेंसधारी तुलावटी की व्यवस्था मंडी को बनानी चाहिए।

5. उपविधि सन् 2000 में हम्माल तुलावटी के पारिश्रमिक, उपविधि में स्थापित समिति द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों में पृथक-पृथक स्थानीय स्तर पर निर्धारित किया जाता है।

जिला स्तर पर भी समीप की मंडियों की दरें युक्तियुक्त कर, सभी पक्षों से चर्चा कर, निर्धारित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान रखा जावें कि दर समीप की मंडियों व क्षेत्र की वर्तमान दर से अधिक न होने पाए।

6. तुलावटी हम्माल प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई है कि कृषि उपज मंडी समिति द्वारा मंडी क्षेत्र के हम्माल, तुलावटी, कृत्यकारी, पारिश्रमिक दर निर्धारण हेतु उपविधि द्वारा जो समिति गठित की गई है, उसमें हम्माल तथा तुलावटी वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अत: पारिश्रमिक निर्धारण समिति द्वारा यथासंभव तुलावटी-हम्माल प्रतिनिधि को सुना जाना चाहिए।

7. कृषि उपज मंडी समिति में अनुज्ञप्तिधारी तुलावटी से तौल किया जाना मंडी अधिनियम की धारा 17(2) (उन्नीस) के तथा उपविधि 17(1) के अनुसार होने से निकासी एवं सौदा पत्रक से विक्रय होने वाली समस्त तुलाई, अनुज्ञप्तिधारी तुलावटी द्वारा की जाना आवश्यक होने से उनकी ड्यूटी चक्र पद्धति से लगाई जाना चाहिए।

8. कृषि उपज मंडी समिति में हम्माल एवं तुलावटी को उनको प्राप्त पारिश्रमिक से ही कुछ अंश प्रतिदिन प्राप्त पारिश्रमिक से 5% कटौत्रा कर, हम्माल तुलावटीगण को प्रेरित कर, उनका सामूहिक ग्रुप बीमा कराने हेतु, संबंधित एजेन्सियों से समन्वय किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार निर्देशों पर प्राथमिकता से कार्यवाही की जावें।

05/10/23

(श्रीमन् शुक्ला)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./बोर्ड/बी-6/नियमन/तुला./248/ 3835 भोपाल05/10/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, कृषि विभाग सह अध्यक्ष म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उपसंचालक (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. चीफ प्रोग्रामर, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल। वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें।
4. भारसाधक अधिकारीसचिव/, कृषि उपज मंडी समिति(समस्त).......... जिला...........

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल